न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ0 सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 21.01.2025

इकरामुद्दीन पुत्र रहीम बक्स निवासी 630 नासिर चाचा की दुकान खानपुरा अजमेर राज.

.....प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये श्री डॉ.मुकेश कुमार जाट कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण)टोंक एंव उर्वरक निरीक्षक,कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.)टोंक

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत ट्रक संख्या RJ-23-GB 2238

उपस्थिति : (1) श्री नसीम अहमद,अभिभाषक सुपुर्दगीगार (वाहन–मालिक)
(2) अप्रार्थी स्वंय उप.

निर्णय **दिनांक 20.03.2025**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) एंव उर्वरक निरीक्षक,कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.)टोंक ने दिनांक 27.09.2024 को वाहन नम्बर RJ-23-GB 2238 ट्रक में 167 कट्टे (बेग) खाद का अवैध / नकली होने के संदेह मे परिवहन करने पर ट्रक को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1)(डी) के अनुसरण मे जब्त कर पुलिस थाना झिराना मे दिनांक 27.09.2024 को रखवाने के फलस्वरूप प्रार्थी (वाहन–मालिक) ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना झिराना से केस डायरी तलब की गई। प्रकरण मे अभिभाषक सुपुर्दगीगार (वाहन–मालिक) एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक सुपुर्दगीगार (वाहन–मालिक) ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी / सुपुर्दगीदार वाहन ट्रक संख्या RJ-23-GB 2238 का मालिक हैं। कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण)टोंक एंव उर्वरक निरीक्षक,कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.)टोंक ने दिनांक 27.09.2024 ग्राम राणोली तहसील पीपलू में सुपुर्दगीदार के उक्त ट्रक में भरा माल सहित को मौके पर आकर गलत तौर पर खाद के 167 बैग मय ट्रक RJ-23-GB 2238 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (D) के अनुसरण में जब्त कर पुलिस थाना झिराना में दिनांक 27.09.2024 को रात्रि 9.44 पर अभिरक्षा में रखवा दिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 112 / 2024 पुलिस थाना झिराना जिला टोंक में उक्त

जिला कलेक्टर
टोंक

ट्रक के वाहन मालिक एवं ट्रक ड्राईवर कृष्ण कुमार से सारी पूछताछ नोट बयान साक्ष्य लेकर वाहन के समस्त मूल दस्तावेजात लेकर पुलिस कार्यवाही कर थानाधिकारी पुलिस थाना झिराना ने रिपोर्ट दी है कि उक्त ट्रक बाबत अनुसंधान किया जा चुका है। प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन ट्रक संख्या RJ-23-GB 2238 को यदि सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द कर दिया जावें तो कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी उक्त वाहन का स्वामी मालिक व रजिस्टर्ड ऑनर है और उक्त वाहन को अपनी सुपुदर्गी में प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई हकदार व दावेदार नही है। उक्त आरोपित अपराध से प्रार्थी व उसके उक्त वाहन का कोई सम्बन्ध नही है,उक्त वाहन को प्रकरण मे गलत रूप से फसाया गया है। प्रार्थी के वाहन के विरुद्ध पूर्व में ऐसी प्रकृति या किसी भी अन्य प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। उक्त प्रकरण में भी प्रार्थी व उसके वाहन को गलत रूप से फसाया गया है। प्रार्थी के वाहन से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी भी नहीं की गई है, ना ही प्रार्थी के वाहन से कोई यूरिया पदार्थ किसी प्रकार से बरामद किया गया है। प्रार्थी के वाहन को केवल मात्र संदेह के आधार पर उक्त प्रकरण में जब्त किया गया है। प्रार्थी का वाहन वर्तमान में पुलिस थाना झिराना टोंक में खुले मे खड़ा हुआ है,जिसके खुले मे खडे रहने के कारण उसके कलपुर्जो, रंगरोगन के खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता अब नही है,उक्त प्रकरण के अनुसंधान व विचारण मे काफी समय लगना संभव है। प्रार्थी उक्त वाहन को माननीय न्यायालय जब भी तलब करेगा उसे पेश कर देगा इस बाबत प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उचित राशि का सुपुदर्गी नामा पेश करने को तैयार व तत्पर है। वाहन चालक एवं मालिक का कोई दोष नहीं है। अतः वाहन सुपुर्दगी मे दिया जावे।

विद्वान अप्रार्थी ने जवाबी बहस मे कथन किया कि सहायक कृषि अधिकारी राणोली द्वारा दिनांक 27.09.2024 को मध्यान पश्चात् लगभग 4 बजे दूरभाष पर जानकारी दी की ग्राम राणोली तहसील पीपलू में एक ट्रक खड़ा है,जिसमें अवैध खाद भरा हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर सहायक निदेशक कृषि (वि.) टोंक एवं में स्वंय राजकीय वाहन से ग्राम राणोली में मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि राणोली से कठमाणा रोड पर स्थित BRKGB बैंक के सामने एक ट्रक खडा मिला,जिसके नम्बर RJ-23-GB 2238 थें एवं ट्रक में 167 बैग, भारतीय जन उर्वरक परियोजना भारत डीएपी 18:46:0 उत्पादन माह एवं वर्ष APR/2023. लौट नम्बर 04 एवं वजन 50 किग्रा अंकित पाया गया। मौके पर ट्रक ड्राईवर/मालिक इकरामुद्दीन व कृष्ण कुमार मौजूद मिले,जिनसे खाद की बिल एवं बिल्टी मांगने पर उपलब्ध नहीं करवायी गयी,जिससे ट्रक में रखा हुआ उर्वरक अवैध एवं संदेहास्पद लगने पर मौका रिपोर्ट (पंचनामा), मौका नक्शा, फर्द जब्ती आदि पत्र तैयार कर उक्त खाद के 167 बैग मय ट्रक RJ-23-GB 2238 को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 28 (1) (D) के अनुसरण में जब्त कर पुलिस थाना झिराना में दिनांक 27.09.2024 को रात्रि 9.44 पर अभिरक्षा में रखवा दिया गया था, जिसके उपरान्त कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना झिराना, जिला टोंक के पत्रांक 3043 दिनांक 28.09.2024 के अनुसरण में उक्त जब्तशुदा कुल 167 बैग अवैध डीएपी उर्वरक को श्री रामावतार चौधरी सहायक व्यवस्थापक कार्यालय केदारनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति, झिराना, जिला टोंक को सुपुर्द कर

जिला कलेक्टर
टोंक

कार्यालय केदारनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति, झिराना, जिला टोंक के गोदाम में दिनांक 28.09.2024 को अभिरक्षा में सुरक्षित रखवा दिया गया है। ऑफलाईन नमूना आहरण करने एवं विश्लेषण हेतु उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला का नाम भिजवाने हेतु कृषि आयुक्तालय से निवेदन किया गया, जिसके उपरान्त कृषि आयुक्तालय के पत्रांक 13653–54 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, कोटा में भिजवाने की अनुमति प्राप्त होने पर दिनांक 04.10.2024 को कार्यालय केदारनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति, झिराना, जिला टॉक के गोदाम से उक्त जब्त शुदा एवं सन्देहास्पद डीएपी उर्वरक का नमूना आहरण कर कार्यालय पत्रांक 2375 दिनांक 04.10.2024 द्वारा राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला, कोटा में भिजवाया गया। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 1930–32 दिनांक 25.10.2024 द्वारा उक्त खाद/उर्वरक को अमानक घोषित किया गया। अवैध/नकली खाद के प्रयोग से किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है एवं अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लघंन है। अतः जप्त शुद्वा ट्रक को सुपुर्दगी मे नही दिया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजात तथा पुलिस थाना झिराना मे दर्ज अभियोग संख्या 112/2024 की केस डायरी का अवलोकन किया। वाहन मालिक श्री सुशील कुमार (सुपुर्दगीदार) द्वारा कथन किया गया कि उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई हकदार व दावेदार नही है। उक्त आरोपित अपराध से प्रार्थी व उसके उक्त वाहन का कोई सम्बन्ध नही है,उक्त वाहन को प्रकरण मे गलत रूप से फसाया गया है। प्रार्थी के वाहन के विरुद्ध पूर्व में ऐसी प्रकृति या किसी भी अन्य प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी के वाहन को केवल मात्र संदेह के आधार पर उक्त प्रकरण में जब्त किया गया है। प्रार्थी का वाहन वर्तमान में पुलिस थाना झिराना टोंक में खुले मे खड़ा हुआ है,जिसके खुले मे खडे रहने के कारण उसके कलपुर्जो, रंगरोगन के खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता अब नही है,उक्त प्रकरण के अनुसंधान व विचारण मे काफी समय लगना संभव है। प्रार्थी उक्त वाहन को माननीय न्यायालय जब भी तलब करेगा उसे पेश कर देगा इस बाबत प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उचित राशि का सुपुदर्गी नामा पेश करने को तैयार व तत्पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना झिराना ने पत्र क्रमांक 374 दिनांक 12.02.2025 से अवगत कराया है कि जप्तशुद्वा वाहन संख्या ट्रक नम्बर आर.जे. 23 जी.बी. 2238 के संबंध मे अनुसंधान किया जा चुका है। प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. आर.जे. 23 जी.बी. 2238 को यदि सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नही है। प्रकरण मे अनुसंधान जारी है।सुपुर्दगीदार (वाहन मालिक) को ट्रक की आवश्यकता को देखते हुये हम जप्तशुद्वा वाहन ट्रक नम्बर आर.जे. 23 जी.बी. 2238 को उसके मालिक श्री इकरामुद्दीन की सुपुर्दगी मे देना उचित समझते है। अतः यदि प्रार्थी श्री इकरामुद्दीन आठ लाख रूपये की जमानत एंव इतनी ही राशि का सुपुर्दगीनामा तथा उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में 30,000/रूपये (तीस हजार रूपये) राजकोष में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत कर देता है तो उक्त वाहन श्री इकरामुद्दीन की सुपुर्दगी मे दिया जावे।

चूंकि प्रार्थी ने सुपुर्दगीनामा एंव 8.00 लाख रूपये की जमानत श्री पूरण माली पुत्र राधेश्याम माली निवासी मालियो का मन्दिर पंचकुईया दरवाजा पुरानी टोंक तहसील व जिला टोंक राज0 की तथा जुर्माने के रूप में 30,000/रूपये (तीस हजार रूपये) राजकोष में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत कर दी है। वाहन मालिक उक्त वाहन (ट्रक) मे किसी भी

जिला कलेक्टर
टोंक

प्रकार का कोई रंग–रोगन व हस्तांतरित आदि नही करेगा। अतः कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) टोंक एंव उर्वरक निरीक्षक,कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.)टोंक को निर्देशित कियाजाता है कि वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेजात की जांच कर वाहन प्रार्थी (वाहन मालिक)की सुपुर्दगी में दे दिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक